



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-7017/MH/65/2026-RU-I

दिनांक: 28/07/2026.

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-रायगढ़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
हीराकोट झील के पास, अलीबाग,
रायगढ़, महाराष्ट्र-402201
ई-मेल: collector.raigad@maharashtra.gov.in

विषय: पनवेल महानगरपालिका, जिला-रायगढ़ (महाराष्ट्र) क्षेत्र में कातकरी (PVTG) परिवारों की पैतृक आवासीय भूमि पर विगत 30 वर्षों से आरक्षण बनाए रखने के कारण उत्पन्न संवैधानिक उल्लंघन के संबंध में दिनांक 04.02.2026 को श्रीमती गंगाबाई विष्णु कातकारी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 21.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णन्दु कान्त

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती गंगाबाई विष्णु कातकरी,
धाकता खंडा आदिवासी कातकरी वाडी,
HOC कॉलोनी के पीछे, तालुका ब्रीड़ा संकुल के सामने,
तहसीलदार ऑफिस के पास पनवेल,
रायगढ़-410206, महाराष्ट्र
ई-मेल: gangabaikatkar@gmail.com
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7017/MH/65/2026-RU-1 NOTICE

दिनांक: 18.03.2026

जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला रायगढ़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
हीराकोट झील के पास, अलीबाग,
रायगढ़, महाराष्ट्र-402201
ई-मेल: collector.raigad@maharashtra.gov.in

विषय: पनवेल महानगरपालिका, जिला-रायगढ़ (महाराष्ट्र) क्षेत्र में कातकरी (PVTG) परिवारों की पैतृक आवासीय भूमि पर विगत 30 वर्षों से आरक्षण बनाए रखने के कारण उत्पन्न संवैधानिक उल्लंघन के संबंध में दिनांक 04.02.2026 को श्रीमती गंगाबाई विष्णु कातकारी द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती गंगाबाई विष्णु कातकारी से दिनांक 04.02.2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुरोध करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मांगों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न पत्रोंपर:

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि संलग्न:

श्रीमती गंगाबाई विष्णु कातकारी,
धाकता खंडा आदिवासी कातकरी वाडी,
MOC कॉलोनी के पीछे,
तालुका क्रीडा संकुल के सामने,
तहसीलदार ऑफिस के पास पनवेल
रायगढ़-410206, महाराष्ट्र
मोबा: 7977866856
ई-मेल: gangabai.katkar@gmail.com

प्राप्त किया
18/03/26

9151/9321
25-03-2026